



‘एच 1 बी’ वीजा सुधार विधेयक

drishtias.com/hindi/printpdf/h1b-visa-reform-bill

सन्दर्भ

हाल ही में अमरीकी संसद में एच 1 बी वीजा विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में वीजाधारकों को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन को दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव है। सरसरी तौर पर देखें तो यही प्रतीत होगा कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि तो व्यावहारिक कदम है, फिर यह भारतीय कंपनियों के हितों को कैसे प्रभावित करेगा? कैसे यह सरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाला कदम है? इन सभी बातों को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं:

विधेयक के माध्यम से लाए जाने वाले बदलाव

- अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में एच1बी वीजा से संबंधित इस विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम 1,30,000 डॉलर वेतन वाली नौकरियों के लिये ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है।
- विदित हो कि संशोधित वेतन मौजूदा न्यूनतम वेतन स्तर के दोगुना से भी ज्यादा है और इसके लागू होने पर अमेरिकी कंपनियों के लिये अमेरिका में भारत सहित कई देशों के कर्मचारियों को नौकरी देना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल, यह पहल डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वादों और अमेरिकियों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल का एक हिस्सा है।
- हाई-स्किल्ड इंटेग्रेटी एंड फेयरनेस एक्ट-2017 (उच्च कुशल निष्ठा एवं निष्पक्षता अधिनियम-2017) के नाम से पेश किये गए इस विधेयक में उन कंपनियों को वीजा देने में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जो बाजार औसत से दोगुना अधिक वेतन देने को तैयार हों। इसमें न्यूनतम भुगतान की श्रेणी को खत्म करने और एच1बी वीजा पर आने वालों के लिये वेतन का स्तर बढ़ाने का प्रावधान है।

कैसे भारतीय कंपनियों के खिलाफ है यह विधेयक?

- गौरतलब है कि एच-1 बी वीजाधारकों का अभी सालाना न्यूनतम वेतन 60 हजार डॉलर है। नए बिल में इसे बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार डॉलर करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- पहली नज़र में ये अच्छी खबर लगती है कि वेतन बढ़ जायेंगे लेकिन भारतीय कंपनियों के लिये यह एक बुरी खबर है, क्योंकि इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक जैसी कंपनियों की आय का आधे से अधिक हिस्सा अमरीका से आता है। मान लिया जाए कि एक अमरीकी कंपनी को खास किस्म का सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिये जो भारत की कंपनियों मसलन टीसीएस या इंफोसिस में उपलब्ध है।
- जब इंफोसिस ऐसे इंजीनियर को भेजता है तो वो इंजीनियर जो अब तक न्यूनतम 60 हजार डॉलर (सालाना) पाता था नए विधेयक के तहत अब अमरीकी कंपनी को ऐसे किसी भारतीय इंजीनियर को न्यूनतम एक लाख 30 हजार डॉलर की रकम (सालाना) देनी होगी। यानी कि अब अमरीकी कंपनियां इतने पैसे में अमरीका में ही ऐसे इंजीनियर खोजेंगी।

क्या है एच 1 बी वीजा?

- गौरतलब है कि अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों के बीच एच-1बी वीजा प्राप्त करना होता है। एच-1बी वीजा वस्तुतः 'इमिग्रेशन एण्ड नेशनलिटी ऐक्ट' (Immigration and Nationality Act) की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर-अप्रवासी (Non-immigrants) नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- एच-1बी वीजा ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिये जारी किया जाता है जो किसी 'खास' कार्य में कुशल होते हैं। उल्लेखनीय है कि कंपनी को ही नौकरी करने वाले की तरफ से एच 1 बी वीजा के लिए इमिग्रेशन विभाग में आवेदन करना होता है। अमरीकी कंपनियाँ इस प्रकार की वीजा का इस्तेमाल उच्च स्तर पर कुशल पेशेवरों को नियुक्त करने के लिये करती हैं। हालाँकि अधिकतर वीजा आउटसोर्सिंग फर्म को जारी किया जाता है।

अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया है?

- एच 1 बी वीजा को के प्रावधान के पीछे उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों के लिये विदेशों से क्षमतावान लोगों को लाकर अमेरिका में रोजगार देना था। हालाँकि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर आरोप लगता रहा है कि वे वीजा का इस्तेमाल निचले स्तर की नौकरियों को भरने में भी करते हैं जिससे अमेरिका में रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है।
- गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने चुनावी अभियान के आरम्भ के समय से ही इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते चले आ रहे हैं और तभी यह साफ हो चूका था कि ट्रम्प सत्ता में आते ही इस संबंध में कोई न कोई सख्त कदम जरूर उठाएंगे।

इस संबंध में भारत का रुख क्या है?

भारत सरकार ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि ट्रम्प प्रशासन की अधिकांश नीतियों के सन्दर्भ में भारत ने चुप्पी साध रखी है।

क्या हो आगे का रास्ता

- विदित हो कि भारत ने पिछले साल मार्च में एच-1 बी वीजा से जुड़े नियमों को लेकर डब्ल्यूटीओ में एक आपत्ति दाखिल कराई थी। इस आपत्ति को 'विचार-विमर्श का आग्रह' भी कहा जाता है जो व्यापारिक विवाद के निपटारे के लिये पहला कदम था। भारत ने अमेरिका के साथ विचार-विमर्श का आग्रह किया था ताकि एल-1 और एच-1 बी वीजा से जुड़ी चिंताओं के संबंध में कोई फैसला किया जा सके।
- विदित हो कि एल-1 एक गैर-आप्रवासी वीजा है जिसके तहत कंपनियाँ विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों या फिर मूल कंपनी में रख सकती हैं। एच-1 बी भी एक गैर-आप्रवासी वीजा है जिसमें अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता आवश्यक नौकरियों में विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अपने यहाँ नौकरी पर रखने की इजाजत होती है।
- हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर एच-1बी और एल-1 वीजा विवाद का निपटारा विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation - WTO) करता है, तो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, यह चुनौती अमेरिका द्वारा एच-1 बी और एल-1 वीजा शुल्क में इजाफा किये जाने सन्दर्भ में दी गई थी।

- अब जबकि वीजा शुल्क में इजाफा न करके वीजाधारकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के माध्यम से भारतीय कम्पनियों के लिये आगे की राह कठिन की जा रही है तो भारत के पास द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

निष्कर्ष

- शायद अमेरिका इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उसके इस कदम से उसका भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका में एच 1 बी वीजा पर काम करने वाले अधिकांशतः पेशेवरों के साथ उनका परिवार भी अमेरिका में ही रहने आ जाता है। चूँकि उनका यह परिवार किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा होता है इसलिये अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अहम् भूमिका निभाता है। वीजा नियमों के माध्यम से अमेरिका न केवल विदेशों पेशेवरों को रोक रहा है बल्कि अपने अर्थव्यवस्था की प्रगति पर भी विराम लगा रहा है।
- एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमेरिका में ऐसे पेशेवरों की कमी है जिन्हें विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में लगाया जा सके। अतः ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि इन चिंताओं के मद्देनजर यह विधेयक शायद पारित ही न हो पाए।
- जहाँ तक एच 1 बी वीजा के दुरुपयोग का सवाल है, इसके रोकथाम के लिये ट्रम्प प्रशासन कोई और भी कदम उठा सकता था लेकिन वीजाधारकों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाना ट्रम्प की उन सरंक्षणवादी नीतियों के तहत किया गया एक प्रयास बताया जा रहा है जिसका वादा कर वे सत्ता में आए हैं।
- इस पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष यह भी हो सकता है कि अमेरिका में रोजगार न मिलने की स्थिति में कुछ कुशल भारतीय आईटी पेशेवर जो कि अच्छे वेतन और सुविधाओं के लालच में भारत में काम करना पसंद नहीं करते थे, वे अब भारतीय कंपनियों में ही कार्य करें। इससे भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूती मिलेगी। हालाँकि यह विधेयक पारित होगा या नहीं? यह अनिश्चितता बनी हुई है और ट्रम्प तथा अनिश्चितताओं का चोली-दामन का संबंध है।